

# दैनिक रोकठोक लेखनी®

खबरें बे-रोकटोक

गोवडी में 63 निर्माण स्थलों को नोटिस...

NOTICE

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

**विरार/नया वायरस से घबराने की जरूरत नहीं: वीवीसीएमसी**



**विरार :** चीन से आया नया श्वसन वायरस 'हूमन मेटान्यूमोवायरस' (एचएमपीवी) एक सामान्य सर्दी और ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण का कारण बनता है। यह वायरस मुख्य रूप से सर्दियों और गर्मियों की शुरूआत में सक्रिय होता है। हालांकि, वसई-विरार महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को घबराने की बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है। महानगरपालिका की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भक्ति चौधरी ने कहा,

"एचएमपीवी से घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक सामान्य संक्रमण है और इससे बचाव के लिए नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा, जैसे हमने कोविड-19 के समय किया था।" उन्होंने बताया कि महानगरपालिका ने एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। क्या करें खांसते या छोंकते समय अपने मुँह और नाक को रुमाल या टिशू से ढकें।

**वसई : 39 वर्षीय विवाहिता महिला ने किया आत्महत्या**



**वसई :** वसई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक 39 वर्षीय विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना समाने आई है। इस मामले में वसई पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे खिलाफ 8 जनवरी को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. डेलिसा रॉयल पेरेरा उम्र 39 वर्ष, निवासी-पापड़ी वसई पश्चिम में रहती थी। इस मामले में मृतक की मां ने वसई पुलिस स्टेशन में मृतक के पाति के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें कहा गया है कि, मृतक डॉ. डेलिसा का पति रॉयल पेरेरा का एक महिला के साथ अनैतिक प्रेम संबंध था, इस बारे में मृतक ने अपने पति रॉयल से पूछी, वह लगातार उसे शरीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। इस पीड़ा से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली।

## सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत के लिए बंबई HC का किया लघु



महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत के न्यायाधीश ने अपने खिलाफ दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। राज्य के प्रश्नाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए पांच रुपये लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सतारा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 15 जनवरी को अपने कक्ष में याचिका पर सुनवाई करेगी क्योंकि इसमें एक न्यायिक अधिकारी सलिलत है। निकम ने अधिवक्ता वीरेश पुरवंत के माध्यम से याचिका दायर की है। निकम ने कहा है कि वह निर्दोष हैं और मामले में उन्हें फँसाया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में निकम के सीधी तौर पर रिश्वत मार्ग या लेने का

याचिका में कहा गया है कि निकम प्रमुख तिथियों पर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर थे, जिससे आरोपी पर संदेह पैदा होता है। एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनके पिता सरकारी नौकरी का झांसा देखकर धोखाधड़ी करने के आरोप में न्यायिक

जिक्र नहीं है। इसमें दलील दी गई कि न्यायाधीश को न तो शिकायतकर्ता और अन्य आरोपियों के बीच किसी तरह की मुलाकात की जानकारी थी और न ही शिकायतकर्ता का जमानत मांगने वाले आरोपी से कोई संबंध है।

याचिका में कहा गया है कि निकम प्रमुख तिथियों पर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर थे, जिससे आरोपी पर संदेह पैदा होता है। एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनके पिता सरकारी नौकरी का झांसा देखकर धोखाधड़ी करने के आरोप में न्यायिक

प्रमुख तिथियों पर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर थे, जिससे आरोपी पर संदेह पैदा होता है। एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनके पिता सरकारी नौकरी का झांसा देखकर धोखाधड़ी करने के आरोप में न्यायिक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के वृक्ष प्राधिकरण (वन प्रशासन) को निर्देश दिया कि वह उसकी अनुमति के बिना मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कोई और कटाई न होने दे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वन प्रशासन आवेदनों पर कार्यवाही कर सकता है और फिर वह अदालत से आदेश ले। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से पहले मुंबई मेट्रो रेल निगम ने पीठ को बताया कि इस क्षेत्र में और पेड़ काटने का कोई प्रस्ताव है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वनवासियों को मेट्रो रेल परियोजना

की अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि क्या आरे वन में और पेड़ काटने का कोई प्रस्ताव है।

के लिए वन में पेड़ों की कटाई पर अपनी शिकायत को लेकर बंबई हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 17 अप्रैल 2023 को मुंबई मेट्रो को हाकार शेड परियोजनालॉन के लिए जंगल में केवल 84 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने

177 पेड़ हटाने की अनुमति दी

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एमएमआरसीएल की ओर से 84 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए वृक्ष प्राधिकरण को आवेदन देना अनुचित था। हालांकि, अदालत ने कंपनी को आरे जंगल से 177 पेड़ हटाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि यह इसीलिए दी जा रही कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से सार्वजनिक परियोजना ठप हो जाएगी जो वांछनीय नहीं है।

के अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी और उसे 10 लाख रुपये का जुमारा भरने का निर्देश दिया था।

## अनैतिक संबंध के विवाद के चलते पति ने दीवार पर सिर पटककर पत्नी की कर दी हत्या...!



हुडकेश्वर : दो साल के प्रेम प्रसंग के बाद एक युवक और युवती ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। दोनों सामान्य जीवन जीने लगे। हालांकि, पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी युवक से अनैतिक संबंध है। इसी विवाद के चलते पति ने दीवार पर सिर पटककर पत्नी की हत्या कर दी। घटना हुडकेश्वर थाने की सीमा में सामने आई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसने पत्नी की हत्या करना कबूल कर लिया है। हत्या की शिकायत महिला का नाम राखी उर्फ पूनम पाटिल (27) और आरोपी पति का नाम सूरज पाटिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूरज और राखी ने तुलजाई नगर में एक कमरा किए एं पर लिया था।

सूरज पेंटर का काम करता है। उनकी पांच और तीन साल की दो बेटियां हैं। गुरुवार 9 जनवरी को दोपहर की 12 बजे पत्नी के चरित्र पर शक के चलते दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर सूरज ने राखी के सिर पर वार कर दिया। और उसका सिर दीवार पर दे मारा। इससे राखी खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। घर में काफी खून फैला हुआ था। कुछ ही देर में राखी बेहोश हो गई। कीरब 3 बजे सूरज राखी को मेडिकल अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने राखी को मृत घोषित कर दिया। सूरज ने डॉक्टरों को बताया कि उसकी पत्नी के बिल्डिंग से गिरने पर लगातार चोट लगी है। राखी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम कक्ष में भेज दिया गया।



फर्जी गिरफ्तारी नोटिस मिले तो जवाब न दें, हमें शिकायत करें - मुंबई पुलिस आयुक्त



**मुंबई :** मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी गिरफ्तारी नोटिस के बारे में नागरिकों को सचेत करते हुए कहा है कि पुलिस आयुक्त के नाम से भेजा जा रहा इमेल फर्जी है। इस तरह के किसी भी गिरफ्तारी नोटिस का जवाब न दें, बल्कि

**मुंबई : 32 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में छह लोग गिरफ्तार**



**मुंबई :** पुलिस की अपराध शाखा ने एक गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को 'डिजिटल गिरफ्तारी' के बाद धोखा देते थे। अधिकारी ने बताया कि खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले गिरोह के सदस्यों की पहचान गंगविशन मंजू (32), विलास बिश्नोई (21), प्रेमसुख बिश्नोई (19), रामनिवास बिश्नोई (32), सुनील बिश्नोई (24) और अजय कुमार बिश्नोई (21) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार लोग राजस्थान से हैं उन्हें दक्षिण मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार किया गया।

## मामूली विवाद में युवक से मारपीट नौसेना अधिकारी से धोखाधड़ी

**भिवंडी :** भिवंडी शहर के पोस्ट ऑफिस परिसर के पास एक युवक पर गंभीर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में करणदीप सिंह बलविंदर सिंह वालिया (25) ने भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 11 जनवरी की रात लगभग 11:00 बजे पूजा

इसकी शिकायत करें। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने कहा, ये साइबर ठग हैं, जो खुद को सीबीआई, ईडी और एनसीबी के अधिकारी बताकर लोगों को डरा रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। फणसलकर ने लोगों से आग्रह किया कि जिन्हें इमेल, फोन कॉल या मैसेजिंग एप के माध्यम से कोई भी संदिग्ध गिरफ्तारी नोटिस मिलता है, वे तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। नागरिकों को ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। ये धोखेबाज धोखा देने के लिए न-न-ए तरीके अपनाते हैं। ऐसे कई धोखेबाज सामने आए हैं, जिनमें ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी, लॉटरी धोखाधड़ी, फर्जी लोन, शेयर बाजार धोखाधड़ी, समेत कई मामले सामने आए हैं।

## समाचार

3

## 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के आरोप में सहकारी ऋण समिति प्रवर्तक गिरफ्तार

**मुंबई :** प्रवर्तन निदेशालय ने कई निवेशकों से 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के आरोप में महाराष्ट्र स्थित एक सहकारी ऋण समिति के प्रवर्तक को गिरफ्तार किया है। ईडी की तरफ से बृहस्पतिवार को बताया गया कि सुरेश कुटे को ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव समिति लिमिटेड (डीएमसीएसएल) से संबंधित जांच के तहत 7 जनवरी से संबंधित जांच के तहत 7 जनवरी को हिरासत में लिया गया था।

मुंबई में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने कुटे को 10 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी के मुताबिक डीएमसीएसएल का प्रबंधन सुरेश



ज्ञानराधा कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य की तरफ से किया जाता था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और 12 से 14 प्रतिशत के बीच ब्याज देने का दावा किया।

एजेंसी के मुताबिक, कुटे और अन्य ने चार लाख से अधिक भोलेभाले निवेशकों को भारी मुनाफे का

वादा कर डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए लुभाया। लेकिन जमा पर निवेशकों को कई भुगतान नहीं किया गया या केवल आशिक भुगतान कर उन्हें धोखा दिया गया। एजेंसी ने पिछले वर्ष इस मामले में कई बार छापे मारे थे और अब तक 1,400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

## मुंबई : लोकल ट्रेन में झगड़ा शांत कराने गए शख्स को मार दिया चाकू



होगा। यह हाइवे मुख्यतः एलिवेटेड होगा। इसमें एक सतही सड़क और दो सुरंगे होंगी। यह हाइवे 60 मीटर चौड़ा और छह लेन का होगा। इसका मतलब यह होगा कि दक्षिण (पुणे की ओर) से आने वाले वाहनों को पनवेल या बेलापुर तक आने की जरूरत नहीं होगी।

वे सीधे जेनपीए तक पहुंच सकेंगे। इसी तरह, उत्तर दिशा से आने वाले वाहन भी ठाणे-बेलापुर रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से बचकर पुराने पुणे हाइवे से चौराहे तक पहुंच सकेंगे और दस मिनट में सीधे जेनपीए पहुंच सकेंगे। नेशन हाइवे 348 पर चिरनेर, गोवा नेशनल हाइवे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को इस हाइवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 'अटल सेतु' के जरिए आने वाले वाहन भी चिरनेर के पास से इस हाइवे तक पहुंच सकेंगे।

पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार दोपहर वेस्ट रेलवे नेटवर्क पर बांद्रा स्टेशन के पास हुई। चलती ट्रेन में चाकूबाजी की घटना होने से सनसनी फैल गई।

रानिंग ट्रेन में खलबली मच गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सचिन धारोलिया (24) अपने बहनों ने जितेश अंबालिया के साथ ट्रेन के महिला डिब्बे में चॉकलेट बेच रहा था। उस समय कुछ महिला पैसेंजर्स एक व्यक्ति से बहस कर रही थीं। धारोलिया ने हंगामा रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन मामला बढ़ गया और उस व्यक्ति ने धारोलिया के पेट में चाकू धोंपने के साथ-साथ सिर पर ढंडे से वार भी किया।

## प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज...

**भिवंडी :** नायलॉन मांजा, जो इसनां और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद भिवंडी में बड़े पैमाने पर इसका व्यापार किया जा रहा है। इस संदर्भ में भिवंडी शहर पुलिस ने नायलॉन मांजा बेचने वाले

एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी समाधान भोसले ने नेहरूनगर के नवीकर्मी इलाके में रात 11 बजे गश्त के दौरान एक व्यक्ति को नायलॉन मांजा बेचते हुए पकड़ा।



## अवैध मछली पकड़ने वालों पर ड्रोन रखेगा नजर

**मुंबई :** राज्य के समुद्री क्षेत्रों में अवैध मछली पकड़ने और घुसपैठ को रोकने के लिए ड्रोन का उपयोग कर एक विशेष निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने कहा कि यह ड्रोन प्रणाली राज्य के 7 जिलों के 9 तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत करेगी। वे ड्रोन निगरानी प्रणाली के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 7 जिले में 9 जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इनमें पालघर जिले में शिरगांव, ठाणे जिले में उत्तन, मुंबई शहर जिले में सूसून डॉक, रायगढ जिले में रेवदंडा और श्रीवर्धन, रत्नगिरी जिले में मिरकरवाड़ा और साखरी नाटे और सिंधुरुग में देवगढ शामिल हैं।



# मालवानी पुलिस ने दर्ज किया पश्चिम बंगाल के चार लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला...

**मुंबई :** मलाड में मालवानी पुलिस ने पीड़ित की पत्ती द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पश्चिम बंगाल के चार

लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पति की हत्या उन लोगों ने की है, जबकि संदिग्धों

का कहना है कि पीड़ित ने आत्महत्या की है। यह मामला पिछले साल दिसंबर में बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई जीरो एफआईआर (एफआईआर जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो) से उपजा है।

मामला मलाड में मालवानी पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने 7 जनवरी को एफआईआर दर्ज की।

बंगाल के मेदिनीपुर जिले की निवासी पीड़ित की पत्ती, 25



मालवानी पोलीस ठाणे

वर्षीय, ने 30 नवंबर, 2024 को स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि उसके पति, जो मिठाई बनाने का काम करते हैं, को चार लोग मुंबई ले गए थे, जिनकी पहचान उन्होंने नियम सिंह, मायारानी सिंह, बापी सिंह और लोचन सिंह के रूप में की थी, जो दिवाली के त्योहार के दौरान काम के लिए गए थे। महिला ने दावा किया कि उसने अपने पति से आखिरी बार 18 अक्टूबर को बात की थी, और सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि, 19 अक्टूबर की सुबह मायारानी ने उसे फोन करके बताया कि उसके पति ने आत्महत्या


कर ली है। महिला के अनुसार, उसने मायारानी से उसके पति के शव को गांव भेजने का अनुरोध किया, लेकिन उसने कहा कि वे पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर चुके हैं।

कुछ संदिग्ध महसूस होने पर उसने 30 नवंबर को बंगाल के सालबोनी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, जिसने कथित घटना मुंबई में होने का हवाला देते हुए मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने 4 दिसंबर को पश्चिम मेदिनीपुर के डीसीपी से संपर्क किया, लेकिन कोई चिंता या शिकायत है, तो वह उन्हें पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है।

मिला, जिसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दायर की। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, स्थानीय कोर्ट ने दिसंबर, 2024 के आखिरी हफ्ते में सालबोनी पुलिस स्टेशन को बीएनएस की धारा 103 और 61(2) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद जीरो एफआईआर दर्ज की गई और केस को मुंबई के मालवानी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया।

मालवानी पुलिस स्टेशन के जाँच अधिकारी पीएसआई सचिन निकालजे ने कहा, ''पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत का कारण आत्महत्या है। जब पोस्टमॉर्टम के बाद शव सौंपने का समय आया, तो हमने मृतक की पत्ती से संपर्क किया और उसे मुंबई आने का अनुरोध किया। हमने उसे यह भी बताया कि अगर उसे कोई चिंता या शिकायत है, तो वह उन्हें पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है।''

ठाणे में हत्या की सनसनीखेज वारदात, 500 रुपये को लेकर छोटे भाई की हत्या!



**ठाणे:** महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ठाणे में महज 500 रुपये को लेकर दो भाईयों में कहासुनी होने लगी। इसके 32 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की कथित रूप से हत्या कर दी। ठाणे पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मंगलवार को कल्याण में यह घटना हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

बाजारपेठ थाने के एक अधिकारी ने बताया कि छोटे भाई नसीम खान (27) ने बड़े भाई से पूछे बगैर ही उसकी जेब से 500 रुपये निकाल लिए। इसको लेकर बड़े

भाई सलीम शमीर खान (32) ने जवाब तलब किया। तब सलीम और नसीम में कहासुनी होने लगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों के बीच कहासुनी तीखी हो चली और आरोपी सलीम ने कथित रूप से चाकू से बार कर अपने छोटे भाई की जान ले ली। पुलिस ने बताया कि सलीम उस समय नशे की हालत में था। पुलिस के अनुसार उनकी मां ने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। उसके बयान के आधार पर आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच में जुटी पुलिसपुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com

## मुंबई : ओबेरोॅय इंटरनेशनल कॉलेज में 11वीं की छात्रा ने कॉलेज के बाथरूम में लगाई फांसी



**मुंबई :** एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुंबई के आरे पुलिस स्टेशन इलाके में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने अपने कॉलेज के ही बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही जांच शुरू हुई और छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामला आरे पुलिस स्टेशन इलाके के ओबेरोॅय इंटरनेशनल कॉलेज का है। मृतक छात्रा के परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी,

जिसके बाद केस दर्ज कर पुलिस की एक टीम जांच में जुट गई। जांच और पूछताल में पाया गया है कि छात्रा इसके पहले भी कई इस तरह के कदम उठा चुकी है। छात्रा ने अपने कॉलेज के बाथरूम में जाकर अपने मोजे का मदद से हैंगर में फांसी लगाई है और सुसाइड कर लिया।

### कॉलेज मैनेजमेंट ने जारी किया था बयान

स्कूल मैनेजमेंट की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि यह खबर साझा करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी 11वीं की एक छात्रा की

**ठाणे :** 31 दिसंबर से लापता महिला मिली मृत... ट्रेन से गिरने की आशंका



ठाणे : ठाणे जिले के कल्याण से 31 दिसंबर को लापता हुई एक महिला मृत पाई गई है। ठाणे रेलवे पुलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला का शव ठाणे सिविल अस्पताल में पाया गया।

उन्होंने कहा कि वह मुलुंड में एक व्यक्ति से मिलने गई थी, जो उत्तर प्रदेश में उसके पैतृक गांव का उसका दोस्त है। उस व्यक्ति ने हमें बताया कि वह ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़े होने के दौरान कलवा क्रीक में गिर गई थी। उसने दावा किया कि वह भी गिर गया था और फिर बेहोश हो गया। उसका कहना है कि इससे ज्यादा जानकारी उसे नहीं है। ठाणे रेलवे पुलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने ने कहा कि दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।